

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क्रं-182/2015
संस्थित दिनांक-10.08.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

मालवन पुत्र रामसेवक लोधी उम्र 25 साल
निवासी ग्राम लिधौरा जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 20.03.2018 को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 456, 294, 323 दो शीर्ष, 354 के दण्डनीय अपराध है कि उसने दिनांक 10.07.2015 को समय 06:30 बजे या उसके लगभग थाना पिपरई ग्राम लिधौरा में स्थित फरियादी शैलेन्द्र के अधिपत्य के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया एवं लोक स्थल पर फरियादी शैलेन्द्र व उसकी पत्नी को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी शैलेन्द्र व रमाकांती बाई को स्वेच्छया उपहति कारित कर आहत रमाकांती की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी उसे पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी शैलेन्द्र ने पत्नी रमाकांती की पत्नी घर के अंदर आटा माड रही थी, गांव का मालवन घर के अंदर घुस आया, उसके साथ बुरी नियत से छेडछाड की, रमाकांती को बुरी-बुरी गालियां दी, रमाकांती ने आवाज दी तो शैलेन्द्र घर के अंदर आया तो मालवन ने शैलेन्द्र की भी थप्पड़ों से मारपीट की। छेडछाड करने से रमाकांती के ब्लाउज के बटन भी टूट गये। रमाकांती के चिल्लाने पर मालवन ने रमाकांती की भी थप्पड़ो से मारपीट कर दी। फरियादी शैलेन्द्र व उसकी पत्नी रमाकांती के द्वारा दिनांक 10.07.2015 को पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्त के विरुद्ध एक लेखिये आवेदन प्र0पी0-01 का प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के आधार पर प्र0पी0-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक-138/2015 अंतर्गत धारा-456, 354, 323, 294 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-20.03.2018 को फरियादी शैलेन्द्र व आहत रमाकांती द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द.प्र.स.

के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 294, 323 दो शीर्ष के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 354, 456 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.07.2015 को समय 06:30 बजे या उसके लगभग थाना पिपरई ग्राम लिधोरा में स्थित फरियादी के घर उसके अधिपत्य के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत रमाकांती की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी उसे पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02 व 03 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अपने समर्थन में शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) एवं रमाकांती बाई (अ0सा0-02) के कथन न्यायालय में कराये गये। शैलेन्द्र (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह दो साल पहले गांव से बाहर मजदूरी करने गया था तथा वहां से आकर शाम 06:30 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा था, तो अभियुक्त ने उसके घर पर आकर उसके साथ गाली-गलौच व झगडा किया था। झगडे की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी मौके पर आ गई थी, तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट व धक्का-मुक्की कर दी थी, जिसके संबंध में उसने पुलिस थाना पिपरई में मौखिक रिपोर्ट की थी।

- 06— रमाकांती बाई (अ0सा0-02) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अपने पति शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) के न्यायालीन कथनों का समर्थन करते हुये उसके कथनों की पुष्टि की है तथा रमाकांती बाई (अ0सा0-02) का भी घटना के संबंध में यह कहना है कि उसका पति दो साल पहले मजदूरी करने गया था और वहां से आकर वह शाम 06:30 आकर घर के बाहर खड़ा था, तो अभियुक्त से उसके पति का घर के बाहर विवाद हो रहा था और जब वह घर के बाहर निकल आई तो अभियुक्त ने उसके साथ धक्का मुक्की व गाली गलौच कर दी थी।
- 07— शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त के द्वारा मात्र घर के बाहर उसके व उसकी पत्नी के साथ धक्का-मुक्की व मारपीट की घटना कारित करना बताया है तथा इस घटना के अलावा फरियादी के अनुसार कोई घटना कारित नहीं की गई। वहीं स्वयं रमाकांती बाई (अ0सा0-02) ने भी न्यायालय में दिये गये कथनों में अभियुक्त के द्वारा घर के बाहर उसके साथ गाली-गलौच व धक्का-मुक्की की घटना कारित करना बताया है तथा इस साक्षी के अनुसार इसके अलावा अभियुक्त ने अन्य कोई घटना कारित नहीं की। फरियादी शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) व रमाकांती बाई (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने घर में घुसकर रमाकांती बाई (अ0सा0-01) की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ की थीं।
- 08— अतः फरियादी शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) व रमाकांती (अ0सा0-02) के न्यायालीन कथनों के अनुसार सर्वप्रथम तो अभियुक्त घटना दिनांक को रात्रि के समय उनके घर में नहीं घुसा, बल्कि घर के बाहर ही विवाद हुआ था तथा इन दोनों ही साक्षियों के अनुसार अभियुक्त ने रमाकांती बाई (अ0सा0-02) की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि घर के बाहर ही अभियुक्त ने पति पत्नी के साथ गाली-गलौच व धक्का-मुक्की की थी जिसमें अभियुक्त का लज्जा भंग करने जैसा कोई आशय नहीं था।
- 09— फरियादी शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) व रमाकांती बाई (अ0सा0-02) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन अभियोजन घटना से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि अभियोजन घटना के अनुसार जो कि प्रदर्श पी 01 के आवेदन एवं प्रदर्श पी 02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित है, के अनुसार अभियुक्त ने रात्रि 08:30 बजे फरियादी के घर में घुसकर घटना कारित की थी तथा घटना में भी रमाकांती बाई (अ0सा0-02) के साथ लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। फरियादी की निशानदेही पर बनाये गये नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 जिस पर फरियादी शैलेन्द्र ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, में घटना स्थल फरियादी के घर के अंदर चिह्नित किया गया है।
- 10— शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) व रमाकांती बाई (अ0सा0-02) के द्वारा न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का लेषमात्र भी समर्थन न करते हुये अभियोजन घटना के विपरीत

न्यायालय में कथन दिये हैं। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन दोनों ही साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने इस बिन्दू पर अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्त घटना दिनांक को चोरी छुपे उनके घर में घुस आया था तथा घर में घुसकर उसने रमाकांती बाई की लज्जा भंग करने की आशय से बल का प्रयोग किया।

- 11—अभियोजन की ओर से प्रकरण में प्रदर्श पी 01 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) ने अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है तथा प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 पर भी फरियादी ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, परन्तु शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) का स्पष्ट रूप से अपने कथनों में कहना है कि उसने थाने पर लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया था, बल्कि मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) ने यह स्पष्ट अभियोजन के विरुद्ध कथन दिये हैं कि उसने पुलिस को ऐसी कोई घटना लेख नहीं कराई थी कि अभियुक्त ने घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की है न ही प्रदर्श पी 01 का आवेदन उसके द्वारा लेख कर थाने पर दिया गया। फरियादी शैलेन्द्र (अ0सा0-01) व रमाकांती बाई (अ0सा0-02) को पुलिस को भी इस संबंध में कथन देने से स्पष्ट इनकार करते हैं।
- 12—अभियोजन घटना में फरियादी शैलेन्द्र लोधी (अ0सा0-01) व स्वयं पीडित रमाकांती बाई (अ0सा0-02) के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है, जिससे आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित हो सकें। अभियोजन पर यह भार होता है कि वह अपना प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करें, परन्तु स्वयं फरियादी शैलेन्द्र (अ0सा0-01) व उसकी पत्नी रमाकांती बाई (अ0सा0-02) के द्वारा पक्षविरोधी हो जाने से एवं अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के विरुद्ध साक्ष्य देने से अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त पर लगे आरोप साबित नहीं कर सका।
- 13—परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि दिनांक-10.07.2015 को समय-06:30 बजे या उसके लगभग थाना पिपरई ग्राम लिधोरा में स्थित फरियादी के घर उसके अधिपत्य के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया एवं आहत रमाकांती की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि उसकी लज्जा भंग होगी उसे पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया।
- 14—फलतः अभियुक्त मालवन पुत्र रामसेवक लोधी को भा.द.वि. की धारा 456, 354 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा.द.वि. की धारा 456, 354 के तहत दण्डनीय अपराध के

आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

15—अभियुक्त धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)